संचिका सं0–17/विविध–08/11 -1852(17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
20/12/12

प्रेषक,

आशीष कुमार,
सचिव (परिवार कल्याण),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

1. डा0 आर0आर0पी0सिंह
   सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, दरभंगा चि0महा0, दरभंगा
2. डा0 एम0 जी0 रई,
   सह प्राध्यापक, कार्डियोथोरासिक सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना
3. डा0 अजीत सिंह,
   सह प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0 महा0, पटना
4. डा0 शैलेश कुमार सिन्हा,
   सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना
5. डा0 अशोक कुमार सिंह,
   सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना
6. डा0 अशोक कुमार मालवीय,
   सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना
7. डा0 दिनेश कुमार दास,
   सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0 महा0, पटना
8. डा0 जे0पी0गुप्ता,
   सह प्राध्यापक सर्जरी विभाग, पटना चि0 महा0, पटना
9. डा0 विजय प्रकाश सिंह
   प्राध्यापक औषधि विभाग, पटना चि0महा0, पटना
10. डा0 शिशिर कुमार,
    सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग, पटना चि0महा0, पटना
11. डा0 विनोद कुमार सिंह,
    प्राध्यापक, औषधि विभाग, पटना चि0महा0, पटना
12. डा0 यशवंत सिंह,
    सह प्राध्यापक, औषधि विभाग, पटना चि0महा0, पटना
13. डा0 अमर कुमार,
    सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग, नालंदा चि0महा, पटना
14. डा0 अमरेश कुमार झा,
    सहायक प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, नालन्दा चि0महा0, पटना

15. डा0 वीरेन्द्र प्रसाद सिंह,
सह प्राध्यापक औषधि विभाग, पटना चि0 महा0, पटना
16. डा0 अरूण कुमार सिंह,
सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग, नालंदा चि0महा0, पटना
17. डा0 सतीश कुमार सिंह,
प्राध्यापक औषधि विभाग, – (सेवानिवृत्त)
18. डा0 सुरेन्द्र कुमार,
सह प्राध्यापक औषधि विभाग, पटना चि0महा0 पटना,
19. डा0 (श्रीमती) शीला सिन्हा,
सह प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, पटना चि0महा0, पटना
20. डा0 राजाराम प्रसाद सिंह,
सह प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, पटना चि0 महा0, पटना

/ पटना, दिनांक 20/12/12

विषयः–राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों में वरीयता नामित किये जाने के लिये प्राप्त शैक्षणिक अहर्ता से संबंधित कागजातों की जांच।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत सूचित करना है कि राज्य के सुपर स्पेशिलियटी विभागों में चिकित्सक शिक्षकों की पैत्रिक विभाग से वरीयता अलग कर सुपर स्पेशियलिटी विभाग में नामित करने के लिये एक विभागीय समिति गठित की गयी थी। गठित समिति ने आपके नाम की अनुशंसा सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिये की है। सुपर स्पेशियलिटी विभाग में न्यूनतम शैक्षणि अहर्ता डी0एम0/एम0सी0एच0 अथवा संबंधित विषय में एम0डी0/एम0एस0 के साथ दो वर्षों का विशेष प्रशिक्षण (Special Training) है। अतः प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आपके दावे/प्रस्ताव के अनुसार शैक्षणिक अहर्ता से संबंधित कागजातों की जांच 29.12.2012 को प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में 2.00 बजे अपराह्न से की जायेगी। इस कार्य हेतु अपर सचिव, स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सुपर स्पेशियलिटी विभाग में नामित किये जाने से संबंधित दावे के समर्थन में शैक्षणिक अहर्ता संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें। ज्ञातव्य है कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे अवमाननावाद से संबंधित है। अतः इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

20/12/12

सचिव (प0क0),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।